दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.या.(मू.प.) 65/2023

इंदुपाल कौर सहगल ... अपीलकर्ता

द्वारा: श्री रजत अनेजा, अधिवक्ता डॉ. आर. एस. ससन, अधिवक्ता

बनाम

डॉ. दविंदेर पाल सिंघ रेखी और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सचिन चोपड़ा, श्री कमल बंसल, सुश्री आस्था गुप्ता और सुश्री मोनिका वर्मा, प्र.-1 और प्र.-2 के अधिवक्तागण

सुरक्षित: 19 जनवरी, 2024
निर्णय की तिथि: 1 फरवरी, 2024

कोरम:
माननीय कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश
माननीय न्यायाधीश सुश्री मनमीत सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा</u>

1. यह पहली अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के तहत दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद (मू.पक्ष) 53/2021 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसका शीर्षक ***इंदुपाल कौर सहगल बनाम डॉ. देविंदर पाल सिंह रेखी और अन्य*** है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.') के आदेश VI नियम 17 के तहत शिकायत में संशोधन के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

1.1 इसमें अपीलकर्ता वादी है और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 सि.वा. (मू.वा.) में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी हैं। 53/2021 वर्तमान अपील को प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा चुनौती दी गई है।

1.2 इसमें अपीलकर्ता ने संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया है, अर्थात ए -389, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली ('वाद संपत्ति') जिसमें अपीलकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी जिनकी मृत्यु 04.12.2007 निर्वसीयत ही हुई थी इनकी वाद संपत्ति में एक चौथाई हिस्से के लिए मुकदमा किया गया है।

स्वर्गीय श्री. प्रहलाद सिंह रेखी दोनों पक्षकारों के समान पूर्वज हैं और वादी के पिता हैं।

1.3 प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने मुकदमे में अपना संयुक्त लिखित बयान दायर किया और आरोप लगाया कि मुकदमे की संपत्ति पहले ही स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और उक्त प्रत्यर्थी के बीच दिनांक 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री वाद संख्या 75/1976 के रूप में पारित हुई थी। वाद संपत्ति में भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल शामिल हैं। यह कहा गया है कि दिनांक 28.05.1976 के उक्त आदेश के अनुसार, भूतल स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के हिस्से में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से में पहली मंजिल और प्रत्यर्थी संख्या 2 के हिस्से में दूसरी मंजिल आया था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने तर्क दिया कि स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की मृत्यु के बाद वाद संपत्ति में अपीलकर्ता के अधिकार, यदि कोई हों भी तो भूतल तक ही सीमित रहे होंगे, जो स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के अनन्य अधिकार और स्वामित्व में था। अंत में, यह कहा गया कि अपीलकर्ता के पास वाद संपत्ति के भूतल में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, क्योंकि उसे वाद संपत्ति के भूतल वाले उसके हिस्से के बदले में शाहदरा और संगम विहार में वैकल्पिक अचल संपत्ति दी गई थी।

1.4 अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उसे पहली बार प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के संयुक्त लिखित कथन पर विचार करने के बाद दिनांक 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री के बारे में पता चला, जिसका प्रभाव स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की संपत्ति को कम करने का है; और इसलिए,

उन्होंने याचिकाओं में संशोधन करने के लिए आदेश VI नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया और विभाजन की उक्त डिक्री दिनांक 28.05.1976 को दोनों के समान यानी स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा की गई धोखाधड़ी के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए प्रार्थना खंडों को जोड़ने की मांग प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 दोनों के द्वारा सम्मिलित तौर पर सिविल अदालत में की गई ।

1.5 अपीलकर्ता के उक्त आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के तौर पर खारिज कर दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि वादी द्वारा मांगा गया संशोधन गलत है क्योंकि आदेश VI नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन के माध्यम से, आवेदक, मुकदम की प्रकृति को मूल मुकदमा से जो स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया था उससे बदलना चाहती है ।

अपीलकर्ता अर्थात वादी के तर्क

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, अपीलकर्ता वाद सं. 75/1976, 28.05.1976 दिनांक को पारित, विभाजन की डिक्री की वैधता और प्रभाव को चुनौती देना चाहती है।

2.1 उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता 28 .05.1976 दिनांकित डिक्री के अस्तित्व को सत्यापित करने में असमर्थ रहा है; हालाँकि, इसे सही मानते हुए,

अपीलकर्ता का यह रुख है कि उक्त डिक्री मिलीजुली थी और कभी भी स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा उस पर कार्यवाही करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उक्त आदेश के बावजूद, वाद संपत्ति स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के नाम पर बनी रही और यह पद अपरिवर्तित रहा है।

2.2 उन्होंने कहा कि उक्त डिक्री स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा प्राप्त किया गया है, इसमें सिविल न्यायालय में धोखाधड़ी किया गया और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान कार्यवाही में इसे चुनौती दी जा सकती है।

2.3 उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को पहली बार दिनांक 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री होने का पता चला, जब उसे दिनांक 05.02.2022 को लिखित बयान दिया गया था, और इसलिए, घोषणा की अतिरिक्त राहत प्राप्ति हेतु के लिए वाद हेतुक के सीमा के भीतर है और यह परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 द्वारा शासित है। ***पंकजा और अन्य बनाम एल. आर. और अन्य द्वारा येलप्पा (मृत) मामले में उच्चतम न्यायालय के*** निर्णय पर भरोसा किया, यह तर्क यह तर्क देने के लिए कि जो कुछ सीमाओं के साथ वर्जित है वैसे राहत को शामिल करने की मांग करनेवाले संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते सीमा के इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया जाए।

2.4 उन्होंने कहा कि असंशोधित वाद में मांगी गई राहत अपरिवर्तित बनी हुई है और वास्तव में अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बचाव का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है, जिन्होंने दिनांकित 28.05.1976 विभाजन के डिक्री पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए, वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है जो विभाजन हेतु एक वाद बना हुआ है।

प्रत्यर्थिगण अर्थात प्रतिवादिगण की दलीलें

3. जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वाद संपत्ति का विभाजन स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के जीवनकाल के दौरान सिविल वाद संख्या 75/1976 डिक्री विभाजन, दिनांक 28.05.1976 द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि मुकदमे की संपत्ति को माप और सीमांकन द्वारा विभाजित किया गया था, जिसके तहत स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और स्वर्गीय श्रीमती मोहिंदर कौर का हिस्सा केवल वाद संपत्ति के भूतल के स्वामित्व और कब्जे तक सीमित थीं।

3.1. उन्होंने कहा कि उक्त डिक्री पर स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी (स्वयं) द्वारा भरोसा किया गया था, कई न्यायालयों और न्यायधिकरणों के समक्ष सफलतापूर्वक वाद संपति से वैधानिक किरायेदारों आवास की कमी का अनुरोध करके मुकदमे की संपत्ति में वैधानिक किरायेदारों को बेदखल करने की मांग करनते हुए आवास की कमी क दलील दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार, स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी ने अपने जीवनकाल के दौरान उक्त आदेश पर

कार्रवाई की और अपीलकर्ता को धोखाधड़ी के आधार पर उक्त डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 को उक्त डिक्री और उसके परिणामस्वरूप हुए विभाजन के बारे में पता था।

3.2. उन्होंने कहा कि विभाजन के उक्त फरमान को चुनौती देने के लिए प्रस्तावित संशोधित अभिवचनों में, अपीलकर्ता ने स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा दीवानी अदालत में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका अस्वीकार्य है क्योंकि अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दावा कर रही है और वह अपने पूर्वज के कृत्य से बंधी हुई हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।

3.3. उन्होंने कहा कि यदि अपीलकर्ता को वर्तमान वाद के तहत उक्त डिक्री दिनांकित 28.05.1976 के द्वारा स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के संपत्ति विभाजन को चुनौती देने की अनुमति दी जाती है तो इससे वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के पूर्ववर्ती मनोवृति को चुनौती देना चाहते हैं, उक्त चुनौती विभाजन के मौजूदा मुकदमे मे नहीं उठाया जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया।

विश्लेषण और निष्कर्ष

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. असंशोधित वाद में, अपीलकर्ता ने अपने पिता अर्थात स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी ('सामान पूर्वज' या 'पूर्ववर्ती')की अविभाजित संपत्ति में 1⁄4 हिस्से की मांग की है। मुकदमे में, अपीलकर्ता ने दलील दी है कि भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल वाली पूरी मुकदमा संपत्ति उक्त अविभाजित संपत्ति है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अपने लिखित बयान में बचाव का अनुरोध किया है कि स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी ने 1976 में अपने जीवनकाल के दौरान वाद संपत्ति को अपने और अपनी पत्नी मोहिंदर कौर और उनके दो (2) बेटे प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बीच माप और सीमांकन के आधार पर विभाजित कर दिया था। यह कहा गया है कि उक्त विभाजन सिविल न्यायालय के एक डिक्री के द्वारा दिनांक 28.05.1976 से द्वारा प्रभावी हुआ था। और डिक्री के अनुसार, भूतल विशेष रूप से स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और स्वर्गीय श्रीमती मोहिंदर कौर; के हिस्से में आ गया। पहली मंजिल प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से में चला गया और दूसरी मंजिल प्रत्यर्थी संख्या 2 के हिस्से में गई।

स्वर्गीय श्री. प्रहलाद सिंह रेखी का निधन 04.12.2007 को हुआ और उक्त तिथि से उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का निर्वसीयत उत्तराधिकार शुरू हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 इस बात पर विवाद करते हैं कि वाद संपत्ति

04.12.2007 दिनांकित के अनुसार पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की संपत्ति का कोई भी हिस्सा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने तर्क दिया है कि चूकी पहली और दूसरी मंजिल पर स्वर्गीय प्रहलाद सिंह रेखी के संपति का कोई हिस्सा नहीं था परिणामस्वरूप 04.12.2007 को वाद संपति में स्वर्गीय गोपाल सिंह रेखी का हिस्सा भूतल तक सीमित था ।

8. अपीलकर्ता ने आदेश VI नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की गई थी कि यह स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा सिविल न्यायालय में धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी और श्रीमती मोहिंदर कौर और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बीच कोई वास्तविक विवाद नहीं था, इसलिए 1976 में सिविल वाद दायर करने और विभाजन की डिक्री पारित करने के लिए सहमत होने का कोई अवसर नहीं था। अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि उक्त डिक्री पर स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि वाद संपत्ति स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के नाम पर बनी हुई है।

रिकॉर्ड पर रखे दलीलों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अतः स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा धोखाधड़ी की दलील दी और स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी पर धोखाधड़ी नहीं की गई।

9. प्रस्तावित संशोधनों में अपीलकर्ता स्वीकार करता है कि इस पर भरोसा करते हुए विभाजन की उक्त डिक्री दिनांक 28.05.1976 के अनुसार, स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी ने न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष वाद संपत्ति के भूतल से वैधानिक किरायेदारों (दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित) को सफलतापूर्वक बेदखल करने की मांग की थी। इसलिए, विभाजन के उक्त डिक्री की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति की पुष्टि स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी ने अपने जीवन काल के दौरान की थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 विभाजन के उक्त डिक्री की बाध्यकारी प्रकृति को भी स्वीकार करते हैं।

10. विभाजन का मुकदमा तब होता है जब पक्षों का संपत्ति में अविभाजित हिस्सा होता है और इस तरह के वाद में, पहले प्रत्येक पक्ष के हिस्से का निर्धारण करने के लिए विभाजन के मुकदमा एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, जिसके बाद विभाजन का अंतिम डिक्री होता है। अंतिम आदेश या तो वस्तु और सीमा द्वारा संपत्ति के विभाजन द्वारा या संपत्ति की बिक्री और बिक्री आय के वितरण द्वारा होता है (***पुन: उमा शंकर और अन्य बनाम आनंद प्रकाश)*** इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि विभाजन का वाद वैसी संपत्तियों के वाद दायर नहीं किया जा सकता या बनाए नहीं रखा जा सकता है जो पहले से ही दोनों पक्षकारों के समान पूर्वज द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान ही अलग-थलग कर दिए गये हैं तो संपत्ति के निपटान में वे मृतक की संपत्ति से हिस्सा नहीं प्राप्त कर सकतें। यहाँ अपीलार्थी ने अपने समान पूर्वज अर्थात

स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की संपत्ति के विभाजन हेतु इस दावे के साथ मुकदमा दायर किया है कि उनकी मृत्य निर्वसीयत हुई, जिसके कारण केवल अदालत द्वारा उनकी अविभाजित संपत्ति में अपीलार्थी के हिस्से की घोषणा की जा सकती है जैसा की मृत्यु की तारीख यानी 04.12.2007 (जो वाद संपत्ति का भूतल है) तक यह हिस्सा मौजूद था। उक्त मुकदमा में वाद हेतुक मृत्यु के बाद, संपत्ति के अस्तित्व और उसके उत्तराधिकार के कानून का संचालन करता है जिससे वादी को मुकदमा बनाए रखने का अधिकार मिलता है। इस तरह के वाद में कठोरता पूर्वक कहा गया है कि सभी पक्ष वादी होते हैं क्योंकि उन सभी के हिस्से स्वीकृत होते हैं। मुकदमा पूरी तरह से प्रतिकूल नहीं है।

11. हालांकि, एक कानूनीउत्तराधिकारी द्वारा अपने समान पूर्वज के जीवनकाल दौरान उनकी अपनी संपत्तियों के प्रति व्यवहार को चुनौती देना प्रतिकूल है और इसके लिए अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र जांच और निर्णय की आवश्यकता होगी। उक्त चुनौती वाद हेतुक का एक भिन्न कारण है और यह वाद की प्रकृति को विभाजन के वाद से परिवर्तित कर घोषणा का वाद हो सकता है। घोषणा की उक्त राहत को बनाए रखने के लिए कार्रवाई और सीमा के लिए वाद हेतुक का गठन करने वाले तथ्य विभाजन की राहत से अलग और भिन्न हैं।

12. अपीलकर्ता यहां अपने ही सामान पूर्वज द्वारा सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है जिसने 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री पारित की। ऐसी राहतों के अधिनिर्णय के लिए विचारण की प्रकृति निस्संदेह विभाजन

के परीक्षण से अलग होगी; और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को बदल देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में दोहराया है कि जहां वाद में प्रस्तावित संशोधन, यदि अनुमति दी जाती है, तो वाद की प्रकृति या वाद हेतुक को बदलने का परिणाम होगा, ताकि पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया जा सके, बाहर से वाद मामले को स्थापित किया जाए इसके लिए, उक्त संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मुकदमा, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के तर्क में योग्यता पाते हैं कि धोखाधड़ी के आधार पर घोषणा के मुकदमा वाद हेतुक इस कारण को जोड़कर और विभाजन के वाद से कार्यवाही को शर्मिंदा किया जाएगा और असंबद्ध वाद में मुकदमे में देरी होगी। इसलिए यह अपील बिना किसी गुण के है।

13. इसके अलावा, हमारी राय में 48 साल बाद अपीलकर्ता द्वारा विभाजन की डिक्री को चुनौती देने वाली घोषणा की राहत की स्थिरता, जिस पर स्वर्गीय श्री. प्रहलाद सिंह रेखी को उनके जीवनकाल के दौरान स्वीकार किया गया, यह अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होता है।

14. विभाजन का फरमान 28.05.1976 पर पारित किया गया था, जिसे स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया था। वास्तव में, उन्होंने मुकदमे की संपत्ति से वैधानिक किरायेदारों को सफलतापूर्वक

बेदखल करने के वाद अदालतों और न्यायालयों के समक्ष विभाजन की उक्त डिक्री पर भरोसा किया। अपीलकर्ता स्वीकार करता है कि जिन न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष 28.05.1976 दिनांकित डिक्री स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा दायर की गई थी इन्होने इसे सही तरीके से स्वीकार किया और स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के पक्ष में व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर वैधानिक किरायेदार के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित करने के लिए उसी पर भरोसा किया। इसलिए, प्रस्तावित पैराग्राफ में अपीलार्थी का यह तर्क कि विभाजन की डिक्री पर स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी या उस पर भरोसा नहीं किया गया था गलत है।

15. इसमें अपीलकर्ता कानूनी किरायेदारों के खिलाफ पारित बेदखली आदेशों को वापस लेने और उनकी बहाली के लिए अनुरोध करने के लिए किराया न्यायाधिकरण में याचिका दायर करने की मांग नहीं कर रहा है। इसलिए, अपीलकर्ता दिनांकित 28.05.1976 विभाजन की डिक्री पर भरोसा करते हुए किराया न्यायाधिकरण द्वारा वैधानिक किरायेदारों के खिलाफ पारित बेदखली के आदेशों को प्रतिग्रहण के लिए तैयार और संतुष्ट है; लेकिन वह विभाजन की उसी डिक्री को चुनिंदा रूप से चुनौती देने की मांग कर रही है ताकि यह आरोप लगाया जा सके कि पहली मंजिल और दूसरी मंजिल स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के संपत्ति का हिस्सा बनी हुई है। इस न्यायालय की राय में, न्यायिक प्रशासन के लिए आवश्यक है कि पक्षकार साफ-सुथरे हाथों से न्यायालय को

संपर्क करें और उन्हें अपनी वाद के सुविधा के लिए विभिन्न मंचों पर विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

16. इस मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता के पास धोखाधड़ी के आधार पर दिनांकित 28.05.1976 को विभाजन की डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार या वाद हेतुक नहीं हो सकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है क्योंकि वर्ष 1976 में मुकदमा संपत्ति में उसका कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था। अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी वाद संपत्ति में अधिकारों का दावा कर रहा है। अपीलकर्ता का तर्क है कि मुकदमा संपत्ति स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की आत्यन्तिक संपत्ति थी। इस प्रकार, वाद संपत्ति में उत्तराधिकार का उक्त अधिकार स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी की मृत्यु पर पहली बार 04.12.2007 को अपीलकर्ता द्वारा अर्जित किया गया।, उत्तराधिकार का कथित अधिकार केवल स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी, की संपत्ति तक ही सीमित था, जो उक्त तिथि पर मौजूद, वाद संपत्ति का भूतल है।

17. अपीलकर्ता अपने पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन की डिक्री दिनांक 28.05.1976 के खिलाफ घोषणा पर मुकदमा नहीं कर सकी थी जैसा की पिता के जीवनकाल के दौरान वाद की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। परिणामत:, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें विभाजन की उक्त डिक्री दिनांक 28.05.1976 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

18. इस न्यायालय को अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में भी कोई योग्यता नहीं मिलती है कि विभाजन की उक्त डिक्री दिनांक 28.05.1976 को स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा सिविल न्यायालय में की गई धोखाधड़ी थी। सबसे पहले, अपीलकर्ता स्वीकार करती है कि श्री प्रहलाद सिंह रेखी ने विभाजन के आदेश को स्वीकार कर लिया और वैधानिक किरायेदार खिलाफ बेदखली की कार्यवाही में उसी पर भरोसा किया। दूसरे, संपत्ति के मालिक के लिए अपने जीवन काल के दौरान वाद संपत्ति के विभाजन के लिए सहमति देने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है। स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी वाद संपत्ति के स्वीकृत मालिक थे और वाद संपत्ति के विभाजन के फरमान को प्रतिग्रहण करना मुकदमाने के उनके फैसले को यहाँ अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसका वर्ष 1976 में वाद संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था। एक कानूनी उत्तराधिकारी उस सामान पूर्वज के कृत्य से बंधा होता है जिसकी संपत्ति वह विरासत में पाना चाहता है और कानूनी उत्तराधिकारी को यह आरोप लगाकर समान पूर्वज के कृत्य को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने धोखाधड़ी से काम किया क्योंकि कानूनी उत्तराधिकारी को ऐसा करने का या उसी को चुनौती देने कोई अधिकार नहीं है। (***सत नारायण बनाम श्री कृष्ण दास***)

19. इस न्यायालय की यह भी राय है कि 28.05.1976 दिनांकित विभाजन की डिक्री स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के खिलाफ पारित की गई थी।

अपीलकर्ता द्वारा इस आरोप पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह एक नकली दस्तावेज है, क्योंकि इसे स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा स्वीकार किया गया था और वैधानिक किरायेदारों को बेदखल करने की मांग करते हुए उन पर कार्यवाही की गई थी ।

फिर भी, यदि कोई है भी तो, विभाजन की डिक्री को चुनौती देने का अधिकार दिनांक 28.05.1976 को स्वर्गीय श्री प्रह्लाद सिंह लेखी को केवल उन्हें ही उनके जीवनकाल के दौरान प्राप्त था। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (ड.) को ध्यान में रखते हुए कानून में 'वाद अधिकार' के रूप में जानी जाने वाली 28.05.1976 की डिक्री को चुनौती देने का उक्त अधिकार अपीलकर्ता के पास नहीं रह सकता है।

हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभाजन की उक्त डिक्री को स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ने अपने जीवनकाल में इसी पर काम किया। डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन की बाध्यकारी प्रकृति के संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसी पर काम किया था। अपीलकर्ता अपने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उक्त डिक्री और उसके कानूनी परिणामों से बाध्य है। अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह रेखी के जीवनकाल के दौरान ही इस तरह के किसी भी दावे की अनुपस्थिति में घोषणा की मांग नहीं कर सकते हैं कि उक्त डिक्री एक नकली दस्तावेज है ।

20. अपीलकर्ता का यह तर्क कि वह 28.05.1976 दिनांकित विभाजन की डिक्री के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, असमर्थनीय है; जैसा कि प्रस्तावित संशोधित पैराग्राफ में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है और वास्तव में प्रस्तावित पैराग्राफ उक्त डिक्री के अस्तित्व के अनुमान को चुनौती देते हैं।

21. ऊपर अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, इसलिए, वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाता है और इसे लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

फरवरी 01, 2024/एचपी/एसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*